



Neutral Citation No. - 2026:AHC:40176-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 414 वर्ष 2026

श्री फज़ले आलम उर्फ आलम मलिक

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता

: मोहम्मद शाफी, शुजाउद्दीन

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सीमा अग्रवाल, एस.सी.

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका, कथित रूप से जनहित में, याची द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को परिवहन वाहनों में गन्ने के अवैध अतिभारण (ओवरलोडिंग) को रोकने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. याचिका के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि वर्तमान याचिका तथा प्रस्तुत अभ्यावेदन में किए गए मात्र साधारण कथनों के अतिरिक्त, याची द्वारा अपने प्रतिपादित कारण के समर्थन में किसी भी विधिक प्रावधान अथवा वैधानिक आधार का उल्लेख नहीं किया गया है।
3. इस प्रकार की सतही प्रकृति की याचिका पर विचार करने का कोई कारण हमें प्रतीत नहीं होता, विशेषकर जब कि यह याचिका एक अधिवक्ता द्वारा स्वयं को "केंद्रीय लोक शिकायत निवारण मंच" का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हुए प्रस्तुत की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

दिनांक: 23 फरवरी, 2026

एन.डी.

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”